सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस: ई-नीलामी दि. 15 नवम्बर 2023
क्षेत्रीय कार्यालय: 7 सिविल लाइंस, यूनिवर्सिटी रोड, सागर (म.प्र)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है"** एवं **"दायित्व रहित"** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार एवं मांग/ बकाया राशि / संबंधित बैंक शाखा	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धरोहर जमा राशि / बिड वृद्धि राशि गुणक	
श्री राजकुमार साहू पिता श्री बाबू लाल साहू- प्रोप. साहू ट्रेडर्स। जमानतदार – श्री बाबूलाल साहू पिता श्री रामचरण साहू, श्री देवेंद्र कुमार साहू पिता श्री जयराम साहू माँग / बकाया राशि – रु 20,26,164.63/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय सबंधित शाखा – टीकमगढ़	साम्य बंधक भूमि/भवन : खसरा नं. 518, मकान नं. 1418, जेल रोड, टीकमगढ़ किला हल्का क्र 10, वार्ड 23, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र) क्षेत्रफल – 25 X 30 = 750 वर्गफुट । चतु:सीमा – उत्तर : रास्ता 20 फीट, दक्षिण : विक्रेता की भूमि/ वर्तमान रमेश यादव, पूर्व : भूमि रचना साहू / वर्तमान नीलम जैन, पश्चिम : रास्ता 20 फीट । कब्जा प्रकार – सांकेतिक	रु रु रु	**29,50,000/-** **2,95,000/-** **20,000/-**
श्रीमती मधुराज जैन पति श्री सुनील जैन, जमानतदार- श्रीमती कस्तुरी बाई जैन उर्फ इंद्राणी बाई पति श्री बाबूलाल जैन, श्री सुनील जैन पिता श्री बाबूलाल जैन माँग / बकाया राशि: रु 27,52,424/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय सबंधित शाखा – दमोह	साम्य बंधक भूमि/भवन: मौज़ा ग्राम बांदकपुर, प.ह.नं. 39/53, खसरा नं. 320/6 का भाग – प्लॉट रकबा 200 वर्गफुट – निर्मित भवन, तहसील व जिला दमोह (म.प्र)। चतु:सीमा: उत्तर- रास्ता, पूर्व- रास्ता, दक्षिण- मुरारी लाल जैन का भवन, पश्चिम- रामसेवक की संपत्ति। मौज़ा ग्राम बांदकपुर, प.ह.नं. 39/53, खसरा नं. 320/6 का भाग – प्लॉट रकबा 40 वर्गफुट – निर्मित भवन , तहसील व जिला दमोह (म.प्र)। उत्तर: रास्ता, पूर्व- रामसेवक की संपत्ति, दक्षिण- मुरारी लाल जैन का भवन, पश्चिम- कोमल धरमदास की संपत्ति। कब्जा प्रकार – सांकेतिक	रु रु रु	**7,05,000/-** **70,500/-** **10,000/-**
श्री अभय सिंह परिहार पिता श्री रामजी सिंह परिहार माँग / बकाया राशि: रु 72,51,817/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय सबंधित शाखा – दमोह	साम्य बंधक भूमि/भवन: ग्राम बाँसा तारखेड़ा, प.ह.नं. 11/20, रा.नि.मं. हिरदेपुर, तहसील व जिला दमोह (म.प्र) खसरा क्र 11/7 – कुल रकबा 1.40 हेक्टेयर याने 14000 वर्गमीटर- व्यावसायिक प्रयोजन हेतु डायवर्टेड भूमि – 4000 वर्गमीटर ख.क्र 11/1 –रकबा 0.10 हे. एवं ख.क्र 11/6 – रकबा 0.05 हेक्टेयर – कुल रकबा 0.15 हेक्टेयर याने 1500 वर्गमीटर- डायवर्टेड। संपत्ति स्वामी - श्री अभय सिंह परिहार पिता श्री रामजी सिंह परिहार। चतु:सीमा – उत्तर: ऋषिराज सिंह/ विज्ञान सिंह की जमीन, पूर्व- कच्चा रास्ता, दक्षिण- दमोह सागर मेन रोड, पश्चिम- कोमल चंद की संपत्ति। कब्जा प्रकार – सांकेतिक	रु रु रु	**75,00,000/-** **7,50,000/-** **30,000/-**
श्रीमती आशा पटेल पति श्री प्रमोद पटेल जमानतदार-स्व. श्री वीरेंद्र सिंह पटेल पिता श्री रामनाथ सिंह पटेल द्वारा विधिक उत्तराधिकारी श्री प्रमोद पटेल पिता स्व. श्री वीरेंद्र सिंह पटेल माँग / बकाया राशि: रु. 33,38,062/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय सबंधित शाखा – दमोह	साम्य बंधक भूमि/भवन: एच.आई.जी. 16, एस.पी.एम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिविल वार्ड नं. 07, दमोह (म.प्र) क्षेत्रफल – 2583.34 वर्गफीट। संपत्ति स्वामी / बंधककर्ता – स्व. श्री वीरेंद्र सिंह पटेल पिता श्री रामनाथ सिंह पटेल द्वारा वसीयतग्राहिता/ विधिक उत्तराधिकारी - श्री प्रमोद पटेल पिता स्व. श्री वीरेंद्र सिंह पटेल (वसीयतनामा- दिनांक 27.08.2014 अनुसार)। चतु:सीमा – उत्तर: रोड, पूर्व- मकान नं. एचआईजी -15, दक्षिण- पुलिस ग्राउंड, पश्चिम- मकान नं. एचआईजी -17। कब्जा प्रकार – सांकेतिक	रु रु रु	**50,18,000/-** **5,01,800/-** **30,000/-**
	साम्य बंधक भूमि/भवन: ग्राम पिपरिया तुरकाई, रा.नि.मं. सदगुवां, तहसील – पथरिया, जिला – दमोह (म.प्र) खसरा नं. 133/5, भूमि रकबा – 1.90 हेक्टेयर – याने 19000 वर्गमीटर (भाग व्यवसायिक प्रयोजन हेतु परिवर्तित – 15000 वफु) । संपत्ति स्वामी / बंधककर्ता – श्रीमती आशा पटेल पति श्री प्रमोद पटेल। चतु:सीमा – उत्तर: सागर – दमोह रोड , पूर्व: देवेंद्र पटेल की जमीन, दक्षिण: कमलेश पटेल की जमीन, पश्चिम- संजय पटेल की जमीन। कब्जा प्रकार – सांकेतिक	रु रु रु	**15,27,000/-** **1,52,700/-** **10,000/-**

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर उपलब्ध लिंक देखें। **हेल्पलाइन नंबर 033-22901004 या क्षेत्रीय कार्यालय सागर प्राधिकृत अधिकारी (मो. 9522285811)** से संपर्क कर सकते है। **ये संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।**

दिनांक: 10.10.2023 स्थान: सागर (म.प्र)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

REGIONAL OFFICE – SAGAR

**** अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 14.11.2023****
विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
15.11.2023 **समय: दोपहर 01.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक**	**14.11.2023** **साँय 5.00 बजे तक**

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
2. नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.isp के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – **दिनांक 15.11.2023 को (समय: दोपहर 01.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी।** निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन मे वृद्धि कर सकता है।
3. विस्तृत विवरण को डाउनलोड़ करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल अ) http://www.centralbankofindia.co.in पर आएं व ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.isp है।
4. निविदाकर्ता https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.isp पर विजिट कर सकते हैं जहां निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।
   निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
   प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
   द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच. ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
   तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ग्लोबल ईमडी वालेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
   चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वतीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।
   कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।
5. ई-नीलामी प्लेटफार्म (https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- एमएसटीसी लि. द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी,ए.जी.सी. बोस रोड़, कोलकाता-700020 में है. इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को इ-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्ते बैंक की वेबसाइट http://www.central bankofinda.co.in, htttp://ibapi.in और https://www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालान के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का e-bक्रय आईबीएपीआई के पोर्टल (htttp://www.ibapi.in) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड़ कर सकते हैं । इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट www.mstcecommerce .com पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए(EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात (https://www.mstcecommerce.com) निविदाकर्ता के ग्लोबल ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (इएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय **दिनांक 14.11.2023 साँय 5.00 बजे तक**।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका मे संबन्धित संपत्ति के सामने उद्धत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन मे वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा. (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वत: ही बंद हो जाएगी। **निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।**
13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढे हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
3516284713	AUTHORISED OFFICER REGIONAL OFFFCE SAGAR	CBIN0281239 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा सागर केंट, सागर (म.प्र)

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने मे असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुन: नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क,फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकर/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।

16. सभी विक्रय प्राप्तियों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय

रशियां, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोडने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है. अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।

18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है. निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार,देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण,मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार,गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयतएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है,(अगर कोई हैं). आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है. सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।

20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध एमाएसटीसी के वेब पोर्टल https://www.mstcecommerce.com, www.ibapi.in और www.centralbankofindia.co.in पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृतशर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।

21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्यों कि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।

22. **बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.**

23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबन्धित शाखा – टीकमगढ़ **(मो. ८४५८८०७५५५), दमोह (मो. ८४५८८०७५१७)** से बैंकिंग कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध मे अन्य किसी जानकारी के लिए श्री कमल कुमार मो. 9522285811 एवं श्री विमल प्रसाद मो. 9472044821, क्षेत्रीय कार्यालय, सागर (म.प्र), ईमेल- recvsagaro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : सागर
दिनांक : 10.10.2023 **कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी**
क्षेत्रीय कार्यालय- 7 सिविल लाइंस, यूनिवर्सिटी रोड, सागर